न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 03/2021
जीसीएमएस नम्बर –2021/03

अपीलान्टगण	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. शंभुसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राव निवासी ग्राम नादान भाटान तहसील रानी जिला पाली 2. नारायण सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राव, निवासी ग्राम नादान भाटान, तहसील रानी जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–
अपीलाण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय राजपुरोहित अनुपस्थित।
अपीलाण्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री बी.आर. चौधरी अनुपस्थित।
श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 21.09.22

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 220/2020 बअनवान सरकार बनाम शंभुसिंह वगैरह में नायब तहसीलदार रानी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.12.2020 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकिल अपीलाण्टगण वक्त बहस अनुपस्थित होने से सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में कथन किया कि ग्राम नादाना भाटान तहसील रानी के राजकीय खसरा नम्बर 399 रकबा 40 वर्गमीटर गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण दर्शाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 27.10.2020 को तारीख पेशी पर उपस्थित होने का नोटिस अपीलाण्ट को दिनांक 05.11.2020 को प्राप्त होने के कारण अपीलाण्ट ने दिनांक 06.11.2020 को न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि उसे प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी चाहिए जिससे कि प्रकरण में पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नियुक्त कर सकें। जिस पर संबधित कर्मचारी ने कहा कि अधिवक्ता नियुक्त करने कि आवश्यकता नही है आप पैनल्टी जमा रकवा देना जिससे की प्रकरण खत्म हो जायेगा, तब अपीलान्ट ने अपने हस्ताक्षर कर दिये, लेकिन माननीय न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही एकतरफा कार्यवाही करते हुए फैसला कर दिया जो खारिज योग्य है। जैर आराजी के संबध में ग्राम पंचायत नादान भाटान ने अपीलान्ट के पक्ष में पट्टा जारी किया है। पूर्व में तहसीलदार रानी द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया है जिससे यह ताईद होता है कि जैर आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा है, लेकिन फिर भी रेस्पोडेन्ट ने अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजो को नजरअंदाज कर बेदखली का आदेश पारित कर दिया। ग्राम नादाना भाटान के खसरा नम्बर 399 रकबा 0.3640 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता जिसके पुराने खसरा नम्बर 719 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। दौराने सेटलमेन्ट पुराने खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 399 पड़े तथा रकबा 0.3640 हेक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है

अति. जिला कलक्टर, पाली

जबकि पुराने रकबे के अनुसार नया रकबा 0.3642 हेक्टेयर बनता है। इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर 718 रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 398 रकबा 4.1097 हेक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि पुराने रकबे के अनुसार नया रकबा 4.1112 हेक्टेयर बना है तथा राजस्व रेकर्ड में उक्त रकबा गैर मुमकिन औरण दर्ज है। विगत करीबन 100 वर्षो से उक्त दोनो खसरो की भूमि गैर मुमकिन ओरण व गैर मुमकिन रास्ते के लिए उपयोग उपभोग नही हो रही है। उक्त दोनो खसरे आबादी भूमि के पास स्थित है। ग्राम नादाना भाटान में कई वर्षो से आबादी भूमि के आवंटन नही हुआ है। ग्राम पंचायत की आबादी काफी बढ गई है। ग्राम पंचायत में आबादी भूमि नही होने के कारण लगभग 40–50 परिवार जैर आराजी में करीब 30–40 वर्षो से निवास कर रहे है जिन्हे बेदखल किया जाना उचित नही है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार बनाम श्रीमती पदमावती देवी 1995 डीएनजे 208 में सिद्वांत प्रतिपादित किया जिसमें अपीलाण्ट के विरूद्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गयी है उसे निरस्त फरमाते हुए अपीलाण्ट का कब्जा बहाल किया जाकर पट्टा जारी करने के आदेश फरमावें। अपीलाण्ट का उक्त आराजी पर उसके दादा बदन सिंह के समय से कब्जा चला आ रहा है व जैर आराजी ही एक मात्र भुमि है एवं वर्षो से अपने परिवार सहित यहां निवास कर रहा है। अगर जैर आराजी का अपीलाण्ट के पक्ष में नियमितीकरण किया जाता है तो नियमानुसार जो राशि बनती है अपीलाण्ट जमा करवाने को तैयार है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाकर नायब तहसीलदार रानी के आदेश दिनांक 03.12.2020 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट के कब्जाशुदा भुखण्ड को नियमितीकरण किया जाने का आदेश फरमावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम नादान भाटान तहसील रानी के खसरा नम्बर 399 रकबा 40 वर्ग मीटर गैर मुमकिन औरण की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है, चूंकि अपीलाण्ट द्वारा कब्ज शुदा भुमि सिवायचक है एवं लम्बे समय से जुर्माना राशि जमा करवाता आ रहा है जिससे यह साबित होता है कि जैर आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा लम्बे समय से चला आ रहा है। जैर आराजी पर अपीलाण्ट 40 वर्ग मीटर पर पक्की बाउंड्री बनाकर कब्जा किये हुए है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की मंशा भी राजकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करना है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

सरकारी पैरोकार की बहस एंव अपीलाण्टगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड/दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम नादान भाटान तहसील रानी के खसरा नम्बर 399 रकबा 40 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन औरण की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर पक्की बाउंड्री करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार रानी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर नायब तहसीलदार रानी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलान्ट शंभुसिंह व नारायणसिंह को अतिक्रमी घोषित किया एवं रूपये 50/– का जुर्माना अधिरोपित करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया है। जैर अपील आदेश विधिसम्मत है। अपीलाण्ट स्वयं ने यह ताईद किया है कि उसने गैर मुमकिन औरण की

अति. जिला कलक्टर, पाली

भुमि पर पक्की बाउंड्री बनाकर स्थायी कब्जा किया हुआ है एवं लम्बे समय से काबिज है जिसके संबध में अपीलाण्ट को पुर्व में भी नोटिस जारी किये जा चुके है, जिससे यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता कि अपीलाण्ट जिस भूमि पर काबिज है वह राजकीय भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है, जिसमें पटवारी हल्का ने वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट का लम्बे समय से कब्जा होना जाहिर किया है। इसे नकारने का कोई पर्याप्त एवं उचित कारण दर्शित नही किया है। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि कि किस्म गैर मुमकिन औरण है जो सार्वजनिक उपयोग की होने से आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 220/2020 बअनवान सरकार बनाम शंभुसिंह वगै. में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2020 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 21.09.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)